कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश।

संख्या–एम0ई0–3/2019/694 लखनऊ:दिनांक 27 मार्च, 2019

यू0पी0 नीट पी0जी0 2019 हेतु अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना/निर्देश

- यू0पी0 नीट पी0जी0 2019 की कांउसिलिंग महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 द्वारा करायी जा रही है। नीट परीक्षा में सफल घोषित हुए अभ्यर्थी ही कांउसिलिंग प्रकिया में प्रतिभाग करने हेतु अर्ह है। कांउसिलिंग के अलावा अनाधिकृत संस्था/व्यक्ति के स्तर पर लिये गये प्रवेश पूर्णरूप से अवैध है जिसका कोई भी उत्तरदायित्व चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय का नही होगा।
- ऑनलाईन च्वाईस फिलिंग के पश्चात च्वाईस लॉक करना अनिवार्य है। च्वाईस लॉक न होने की स्थिति में अभ्यर्थी आवंटन प्रकिया से स्वतः बाहर हो जायेगा।
- अभ्यर्थी द्वारा उन्ही कालेजो की च्वाईस भरी जाये, जिनमें प्रवेश हेतु वह इच्छुक है।
- निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजो में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि सम्बन्धित कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय द्वारा लिये जाने वाला शुल्क (Fee Structure) जो महानिदेशालय की वेबसाईट पर उपलब्ध है, का अवलोकन करने के पश्चात ही Choice Lock करे।
- निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज/विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी सम्बन्धित कालेज के बारे में जानकारी अपने स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही च्वाईस लॉक करे।
- अभ्यर्थी द्वारा लॉक की गयी च्वाईस के उपरान्त आवंटित कालेज/पाठ्यकम में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। प्रवेश न लेने की स्थिति में जमा की गयी सिक्योरिटी धनराशि जब्त कर ली जायेगी। ऐसे अभ्यर्थियो को द्वितीय चक की कांउसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पुनः सिक्योरिटी धनराशि जमा करनी होगी।
- निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजो में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रकिया शासन द्वारा नामित नोडल सेण्टर पर पूर्ण की जायेगी। नोडल सेण्टर की सूची नीट पी0जी0 2019 हेतु जारी शासनादेश/ब्रोशर में उल्लिखित है जो कि विभाग की वेबसाईट www.updgme.in पर प्रदर्शित हो रहा है।
- राजकीय क्षेत्र की सीटो पर आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियो की प्रवेश प्रकिया उसी मेडिकल कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय में पूर्ण की जायेगी जहॉ पर उन्हे सीट प्राप्त हुयी है।
- प्रवेश के समय अभ्यर्थियो द्वारा समस्त शैक्षणिक/जाति/अन्य प्रमाण पत्र मूलरूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज में प्रवेश प्रकिया पूर्ण होने के उपरान्त प्रवेशित अभ्यर्थियो द्वारा कालेज की छात्रावास, सिक्योरिटी फीस द्वितीय चक की काउंसिलिंग समाप्त होने के पश्चात आवंटित कालेज में जमा करनी होगी।
- अभ्यर्थियो द्वारा राजकीय मेडिकल कालेजो की एम0डी0/एम0एस0/डिप्लोमा एवं एम0डी0एस0 पाठ्यकम की सीटो हेतु रू0 30,000/–, निजी क्षेत्र की एम0डी0/एम0एस0/डिप्लोमा पाठ्यकम की सीटो हेतु रू0 2,00,000/– तथा निजी क्षेत्र की

एम0डी0एस0 पाठ्यक्रम की सीटो हेतु रू0 1,50,000/– की सिक्योरिटी धनराशि ऑन लाईन प्रकिया के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा तथा सिक्योरिटी धनराशि किसी भी दशा में शिक्षण शुल्क में समायोजित नही की जायेगी। सिक्योरिटी धनराशि जमा करने सम्बन्धी महत्वपूर्ण अनुदेश ब्रोशर में उल्लिखित है।

- **ऐसे अर्ह अभ्यर्थी जिनको सिक्योरिटी धनराशि वापस की जानी है उनकी सिक्योरिटी धनराशि उसी बैंक खाते में वापस की जायेगी जिससे उन्होने सिक्योरिटी धनराशि जमा किया है। अतः सिक्योरिटी धनराशि जमा करने हेतु अभ्यर्थी अपने निजी बैंक खाते का ही प्रयोग करे।**
- उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियो को सूचित किया जाता है कि प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करते समय उनका अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र दिनांक 01 जनवरी 2019 अथवा इसके पश्चात् का बना होना चाहिये। अन्यथा की स्थिति में उनके प्रवेश पर विचार नही किया जायेगा।
- दिव्यांगजन हेतु भारत सरकार की नोटिस दिनांक 15.02.2019 में उल्लिखित है कि:–

  It is for the information of all candidates participating in the upcoming PG Counselling 2019 for MD/ MS/ Diploma/ MDS courses that the Board of Governors in Supersession of Medical Council of India has issued Guidelines regarding admission of students with "Specified Disabilities" under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 vide Gazette Notification No. MCI34(41)/2018-Med./170045 dated 5th February, 2019 (Notification enclosed as ANNEXURE-I). The extent of "specified disability" in a Person with Disability (PWD candidate) shall be assessed in accordance with these guidelines for the purpose of issuing Disability Certificate and at the time of admission in the college. Further, all the PWD candidates participating in the PG Counselling 2019 are required to get themselves assessed for their disability and obtain a Disability Certificate from any one of the designated Disability Centre (List of the Disability Centres enclosed as ANNEXURE-II) to secure admission under 5% quota for candidates with benchmark disabilities in accordance with the provisions of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 notified in the Gazette of India by the Ministry of Social Justice and Empowerment on 4th January,2018.

  भारत सरकार की उक्त नोटिस तथा उसके संलग्नकों का स्वयं अवलोकन करे।
- पी0एम0एस0 के अभ्यर्थियो के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि मात्र वही अभ्यर्थी भारांक अंको (*Weightage*) हेतु अर्ह होंगे, जिनकी सूची महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 के द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने उत्तर प्रदेश के राजकीय क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज की ऑल इण्डिया कोटे की सीट से एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 उत्तीर्ण किया है परन्तु वह उत्तर प्रदेश के निवासी नही है, ऐसे अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नही होगा।
- उत्तर प्रदेश के निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों से एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 उत्तीर्ण किये हुए प्रदेश के बाहर के छात्रो को आरक्षण का लाभ देय नही होगा परन्तु ऐसे अभ्यर्थी राजकीय सीटों हेतु समान्य श्रेणी मे अर्ह होंगे।

महानिदेशक